

821936

**IN THE COURT OF SPECIAL EXCLUSIVE EXCISE  
COURT NO. 2, JEHANABAD**

Excise Case No:- 4251/26

State vs

| Date of Order | Order                                                                                                                                                                                                               | Remark |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11-08-26      | Arrested Excise सनहा सं०- 1851/26 धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम एवं सशोधित 2022 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ इसे अवलोकन किया इसे पंजीबद्ध करें। सनहा के साथ अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रपत्र VI भी प्राप्त हुआ। |        |

लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय,  
जहानाबाद।

पश्चात्

11-08-26

अनुसंधानकर्ता द्वारा गिरफ्तारी झाप, अग्रसारण प्रतिवेदन, चिकित्सीय जाँच प्रमाण-पत्र के साथ प्राथमिकी के नामित अभियुक्त यशोवन्तर राजवंशी उम्र 1.5 वर्ष  
पिता- सीता राम राजवंशी साकिन 1 फखरपुर थाना 1- अरवल  
जिला- अरवल

को गिरफ्तार कर उचित मार्गदर्शक दल के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षण में किसी प्रकार के दुर्यवहार की शिकायत नहीं की गई। अधिवक्ता नियुक्ति के संदर्भ में पूछे जाने पर अभियुक्त स्वयं व्यवस्था करने की बात कहते हैं। अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः इस बिन्दु पर उचित आदेश पारित करने का निवेदन करते हैं।

अभियुक्त द्वारा किए गये उपरोक्त निवेदन के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम 18 के अन्तर्गत समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में वर्णित तथ्यों को अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया एवं उक्त प्रपत्र का पढ़कर/ सुन व समझकर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से उस पर अपना हस्ताक्षर/ L.T.I. बनाया गया। समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन के आलोक में इस न्यायालय द्वारा प्रपत्र VII में वर्णित कार्यवाही की गयी एवं अभियुक्त को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया गया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में इनकी तरफ से निवेदन किया गया कि यह इनका प्रथम अपराध है एवं ये काफी गरीब है अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आदेश पारित किया जाए।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में उक्त नियमावली के नियम 18 (क)(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली 18 (3) के आलोक में यह न्यायालय इस दोष सिद्ध को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराध हेतु 2500/- रु अर्थदण्ड की सजा देती है एवं इस अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध को 30 दिन कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय,  
जहानाबाद।

Yogeshwar Rajwanshi

142-2112

अभियुक्त द्वारा अभिलेख की ओर से न्यायालय के पक्ष

821936

11.8.20

दिनांक 11.8.20

को द्वारा

2500

रुपया जुमाना की

सफाई की जायगी। जिसकी प्रवर्तन / सही अभिलेख को दिया गया  
है। अभिलेख को एक सही अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिलेख  
को प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अभिलेख को निम्नानुसार अभिलेखपत्र में रखा करें

लेखाधिक

विशेष उपाय न्यायालय द्वितीय  
अनुमानित